आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No.05 /2024

No.2024/ACII/1/2 **New Delhi, dated: 08-02-2024**

The General Managers/PFAs
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: Introduction of New Sub head and Detailed head for accountal of expenditure incurred by Zonal Railways on setting up of Anti Human Trafficking Units (AHTUs) Scheme of MHA.

*****

Advanced Correction slip no. **05** introducing New Sub head and Detailed head under Existing Minor Head 100 of SMH-10 - Abstract N in Railway Finance Code Vol. II (Second Reprint Edition 2022), is enclosed for necessary action.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Please acknowledge receipt.

08/02/24

(Ajay Bartwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

No.2024/ACII/1/2 **New Delhi, dated: 08-02-2024**

Copy to:

i) Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
ii) PFAs, Indian Railways.
iii) FA & CAO(C)s, Indian Railways
iv) OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, DG/RPF.

Advanced Correction Slip No. 05

Indian Railway Financial Code Volume-II (Reprint Edition 2022)

Classification of Revenue Expenditure (Appendix-I)

Please introduce the following new Sub head and Detailed Head under Existing Minor Head 100 of SMH-10- Abstract N:

Minor Head	Sub Head	Detailed Head
100 Suspense	140- Expenditure incurred by Zonal Railways which is to be reimbursed by other Ministries.	141- Expenditure incurred on Anti Human Trafficking Units (AHTUs) Scheme by Zonal Railways which is to be reimbursed by MHA.

(Authority: Board's letter no. 2024/ACII/1/2 dated 08.02.2024)

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 05/2024

सं. 2024/एसी-II/1/2

नई दिल्ली, दिनांक 08.02.2024

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: गृह मंत्रालय की मानव तस्करी-रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने की योजना पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा खर्च किए गए व्यय के लेखे-जोखे हेतु नए उप शीर्ष और ब्यौरेवार शीर्ष खोलना।

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (पुनर्मुद्रण संस्करण 2022) में मौजूदा लघु शीर्ष 100 के उप लघु शीर्ष-10- सार एन के अंतर्गत नया उप शीर्ष और ब्यौरेवार शीर्ष खोला गया है, जिसके लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 05 आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

कृपया शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त(सीसीए)
रेलवे बोर्ड
फोन नं. 011-23047018
ई-मेल आईडी : ajay.bartwal@gov.in

सं.2024/एसीII/1/2

नई दिल्ली, दिनांक: 08.02.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उप मुख्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।
3. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (निर्माण), भारतीय रेलें।
4. विकाधि/रेल मंत्री, विकाधि/समन्वय/रेल मंत्री, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 05

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द ।। (पुनर्मुद्रण संस्करण 2022)

राजस्व व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-।)

कृपया मौजूदा लघु शीर्ष 100 के उप लघु शीर्ष-10- सार एन के अंतर्गत नया उप शीर्ष और ब्यौरेवार शीर्ष खोला जाए:

लघु शीर्ष	उप शीर्ष	ब्यौरेवार शीर्ष
100 उचंत	140- क्षेत्रीय रेलों द्वारा खर्च किया गया व्यय जिसकी अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है।	141- क्षेत्रीय रेलों द्वारा मानव तस्करी-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की योजना पर खर्च किया गया व्यय, जिसकी प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जानी है।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 08.02.2024 का पत्र सं. 2024/एसी-।।/1/2)